

मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-7/शाजापुर/फा.न. 59/2017/1834


भोपाल दिनांक 16/11/17

आदेश

संचालनालय के आदेश कमांक 799, 801, 803, 805, दिनांक 09.05.2017 के द्वारा -1.डॉ. अनुसुईया गवली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन शाजापुर 2. श्री केलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर 3. श्री एस.पी. जोशी लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी 4. श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी कय प्रभारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहे गये थे।

डॉ. अनुसुईया गवली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन शाजापुर, श्री केलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर, श्री एस.पी. जोशी लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी, श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी कय प्रभारी आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षण उपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डॉ. अनुसुईया गवली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन शाजापुर, श्री केलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर, श्री एस.पी. जोशी लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी, श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी कय प्रभारी के विरुद्ध उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित करते हुए क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।



(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक

कमांक/4/शिका./सेल-7/शाजापुर/फा.न. 59/2017
प्रतिलिपी - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर म.प्र. की ओर उनके पत्र क. /स्था./4-1/2017/77 दिनांक 22.02.2017 के संदर्भ में।
4. संचालक, एन.एच.एम. किशन भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगत स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन उपरोक्त प्रकरण में (जांच अधिकारी) की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समायावधि में विभागीय जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति



प्रशासकीय अधिकारी

(आयुक्त म.प्र.)

(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश